

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक : 1166 / प्र0खण्ड जोन-डी / 2023

दिनांक : 15-6-2023

सेवा में,

मैसर्स अजन्ता डवलपर्स

खसरा संख्या 482 , 483

ग्राम कसेरूबक्सर मवाना रोड

मेरठ ।

विषय— खसरा संख्या 482 , 483 ग्राम कसेरूबक्सर मवाना रोड मेरठ के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वीकीय शमन आवेदन दिनांक 03.11.2022 एवं शमन मानचित्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । आपके शमन मानचित्रों पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 18.04.2023 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रुपये 9515262.00 रसीद संख्या PLN 23057945 दिनांक 16.05.2023 के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है ।

- 1— शमन शुल्क के मद में आरोपित धनराशि रू0 9515262.00(पिचान्वे लाखा पन्द्रह हजार दो सौ बासठ मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा करा दी गयी है ।
- 2— भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा तथा मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।
- 3— शपथ पत्र में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा ।
- 4— विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन करना होगा ।
- 5— भविष्य में यदि प्राधिकरण द्वारा कोई शुल्क की माँग की जाती है तो आवेदक को मान्य होगा ।
- 6— नियमानुसार सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा ।
- 7— भवन उपविधि के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा ।
- 8— समय-समय पर अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ानी होगी ।
- 9— रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सुचारु रूप से संचालन करना होगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

संलग्नक— शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

जोनल अधिकारी जोन डी
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।